न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2018 (राजसमन्द आर्डर)

1. लालसिंह पिता कूपसिंह जी रावत, निवासी हीरा की बस्सी–ए, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)
2. बबलुसिंह पिता कूपसिंह जी रावत, निवासी हीरा की बस्सी–ए, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता मूलचन्द जी सेवक, निवासी नारायण जी का सेरिया, देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द के बजाय :–

1/1. दीपक पिता कन्हैयालाल जी शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

1/2. विकास पिता कन्हैयालाल जी शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

1/3. दीपमाला पुत्री कन्हैयालालजी शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

1/4. आरती पुत्री कन्हैयालाल जी शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

1/5. कमलादेवी बेवा कन्हैयालाल शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

2. तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ दिनांक 05.06.2017 प्रकरण संख्या 66/11

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री डी. एस. कर्णावट अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाशक र.सं. 1/1, 1/5

3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक

18—03—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान का”तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हीरा की बस्सी—ए में आराजी नंबर 273 रकबा 9 बिस्वा व आराजी नंबर 269 रकबा 19 बिस्वा स्थित है, जो प्रार्थीगण के पिता कूपसिंह पिता चमना के खातेदारी में चली आ रही थी। उक्त आराजी विपक्षो संख्या 1 द्वारा दिनांक 10—02—1983 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रार्थीगण के पिता द्वारा बेचान की गयी भूमि के साथ उक्त भूमि मिलो भगत से अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि प्रार्थीगण के पिता द्वारा आराजी नंबर 249 से 253 व 264/249 का ही विक्रय किया गया था। विवादित दोनों आराजी नंबर 273 व 269 का कभी भी विक्रय नहीं किया गया उक्त भूमियों पर कब्जा आज भी प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है, किन्तु विपक्षो संख्या 1 जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतएवं विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखकर अपनी आदेशिका दिनांक 05—06—2017 में यह वर्णित किया कि चूंकि मूलवाद में कार्यवाही ड्रोप हो चुकी है। अब इस प्रकरण में आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूश्ट होकर अपीलान्ट/ प्राथोगण द्वारा दिनांक 21—05—2018 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 13—05—2018 को वकील साहब से सम्पर्क करने पर उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। इसी कारण अपील पेश करने में देरी हुई है, जिसे न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद पर उभयपक्षों की बहस सुनो गयी तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 05—06—2017 के निर्णय की अपील इस न्यायालय में दिनांक 04—08—2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21—05—2018 को प्रस्तुत की गयी है। जो करीब अपील करीब 9½ माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसक लिऐ देरी के जो कारण लिये गये हैं, वह न तो उचित है, न ही पर्याप्त। फिर भी प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/5 की ओर वकील श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/2 से 1/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब लिये, बिना शहादत लिए व बिना सुने राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने कथन किया कि चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसका वाद खारिज कर दिया गया था। अतएवं उक्त आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया। चूंकि आज दिनांक 18—03—2019 को ही इन्हीं भूमियों से एवं इन्हीं पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत मूलवाद के निर्णय की अपील संख्या 27/2018 इस न्यायालय द्वारा खारिज की

जा चुकी है। अतएवं अब इस प्रकरण में जब मूल दावे की अपील ही खारिज हो चुकी है तो अब अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–06–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–03–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस. ....
....

विनोदसिंह पिता स्व. लक्ष्मणसिंह रावत बनाम रोडसिंह पिता देवीसिंह जी रावत
निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, निवासी छापली (खजेडिया), तह0
छापली, तह.भीम, जि.राजसमन्द व अन्य भीम, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.............11/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी........
...........भीम....... मुकाम................मुवर्खे.............24................माह..............05...........
..2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........14......माह........03.......सन् 2019 रूबरू......
..पक्षकारान
व हाजरी...श्री मदनसिंह चौहान ....मिनजानिब अपीलान्ट व............श्री भंवरसिंह चौहान

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये
.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........14......माह.......03...
........2019
को जारी किया गया ।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।